न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 143/2017

मस्तान सिंह उर्फ सुखजिन्द्रसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. सुमनप्रीतकौर पुत्री गुरप्रीतसिंह जाति जटसिख नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता राजपालकौर पत्नी गुरप्रीतसिंह जाति जटसिख निवासी गांव पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजपालकौर पत्नी गुरप्रीतसिंह जाति जटसिख निवासी गांव पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर।

——रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 15.092017

उपस्थितिः—

श्री प्रदीप सिहाग , अभिभाषक अपीलांट

श्री कुलवन्तसिंह संधू, अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 03.11.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212

3/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह चक 26 केएसडी के खाता सं. 3/2 में 1.771है0 , 89/80 में 0.506है0 व खाता सं. 90/72 में 0.506है0 कुल 2.783है0 भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल न करें। अप्रार्थी/अपीलांट ने प्रा.पत्र का जबाब पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 15.09.2017 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.03.2017 को वाद के निर्णय तक पुष्ट कर दिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक न होकर अपीलांट की स्वयं की खरीदशुदा है। प्रार्थीगण के पिता व पति जो अपीलांट का पुत्र है के नाम वाद पेश करने से पूर्व ही विभाजन में 17.10 बीघा भूमि दी थी जो उसको हिस्से से ज्यादा दी गई है जिसपर अधी. न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रार्थीगण ने विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति साबित नहीं किया है। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है एवं पैतृक सम्पत्ति होने के कारण मृतक गुरप्रीतसिंह का 1/3 हिस्सा बनता है। मस्तान सिंह द्वारा उक्त भूमि को हस्तांतरण करने की धमकी दे रहा था जिस कारण प्रार्थीगण ने वाद व प्रा. पत्र 212 आरटीए का पेश किया। अधी. न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के पश्चात धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दुओं का विवेचन करते हुए एवं तीनों

3/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बिन्दु अपीलांट के पक्ष में मानते हुए प्रा.पत्र स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 15.09.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसके सहखातेदार के विरूद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की है जो नहीं की जानी चाहिए, निरस्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावलीका अवलोकन किया। अपीलांट मस्तानसिंह ने अपने भाई की बेवा राजपालकौर जो भाई की वारिस होकर विवादित आराजी की **claimat** है के पक्ष में अधी. न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति का विवेचन कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।

प्रकरण हाजा में रेस्पों. एक बेवा व उसकी नाबालिग पुत्री के मानवीय पक्ष एवं अधी. न्यायालय के विधिक विवेचन को मध्यनजर रखते अधी. न्यायालय के के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर